



उपायुक्त का कार्यालय  
(जिला राजस्व शाखा)

निरसा एवं बलियापुर अंचल अन्तर्गत डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के रेलवे लाईन विस्तार हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल झाड़ी ) के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल झाड़ी ) भूमि जो निम्नवत् है :-

क्रमांक	वन भूमि का स्थल(अंचल)	जिला	वन प्रमण्डल	मौजा का नाम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा (एकड़ में)
1	निरसा	धनबाद	धनबाद प्रमण्डल	माड़मा	57	129	616	0.51
2	निरसा	धनबाद	धनबाद प्रमण्डल	कालुबथान	157	71	79	1.41
3	बलियापुर	धनबाद	धनबाद प्रमण्डल	जगदीश	19	74	3412	0.3450
कुल रकवा :- दो एकड़ साढ़े छब्बीस डी0								2.2650 ए0

कुल रकवा-2.2650 एकड़ (दो एकड़ साढ़े छब्बीस डी0) में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन भूमि से बाहर है के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ, जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

५०/-

उपायुक्त, धनबाद।